

19.06.2014 पत्रावली पेश हुई।

आदेशिका दिनांक 20.07.2022 में अधिवक्ता वारीय
काय अन्तर्गत धारा 145-146 का अधिवक्ता वारीय
का हवाला देते हुए अधिवक्ता वारीय काय
अपना क्वालिफिकेशन विज्ञापन दिनांक 15.08.2016 को
किया गया था और अधिवक्ता वारीय काय
किया था अधिवक्ता अधिवक्ता वारीय काय
वारीय अनुपस्थित। कठ-कठ पर तीव्र का
आवाज लगाई गई। कानून इसके कोर्ट अधिवक्ता
नहीं। इनके फलित येल हैं कि अधिवक्ता
एवं अधिवक्ता अधिवक्ता अपने वास को
लेका जम्मीर नहीं हैं और दावा अधिवक्ता
हाजिरी अधिवक्ता पेश हैं इसी लक्ष्य
खारिज किया जा रहा है।

पत्रावली में माल प्रमाण लेकर
नम्बर से कम की जाकर दाखिल इत्यादि
थे।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर